



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानीदुर्गावतीमहाविद्यालय

वाड्राफनगर,

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छोगो) 3602

Web :- [www.govtcollegewadrafnagar.ac.in](http://www.govtcollegewadrafnagar.ac.in)

Email:-[ranidurgawati001@gmail.com](mailto:ranidurgawati001@gmail.com)


No. 153 /Stab./2020

Wadrafnagar Date - 10/10/20

**:-CERTIFICATE:-**

This is to certify that following faculty members are working in the institution in the session 2019-20 :-

S.no.	Name of the full time teacher	Department	Designation	No. of sanctioned post	Year of appointment	Total year of Experience
01	Shri Sudhir Kumar Singh	Economics	Assistant Professor	11	2017	3
02	Shri Suresh Kumar Patel	Zoology	Assistant Professor		2017	3
03	Dr. Toyaj Shukla	Chemistry	Assistant Professor		2018	2

  
Principal  
Govt. DEGREE COLLEGE  
Wadrafnagar  
Govt. Rani Durgawati College  
Wadrafnagar, Dist – Balrampur (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --  
:: आदेश ::


नया रायपुर, दिनांक 23/03/2017

क्रमांक एफ 1-24/2014/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 3121/95/2010 चयन, रायपुर, दिनांक 08.2.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक(प्राणी शास्त्र) के पद हेतु माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय के पालन में जारी संशोधित सूची अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक(प्राणी शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	संशोधित चयन सूची क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4	5
1	39	श्री मोहम्मद शोएब, सी 1/71 सूर्य विहार जुनवानी, भिलाई दुर्ग 490020	शास.लाल श्याम शाह, महाविद्यालय, मानपुर जिला राजनांदगांव	UR
2	52	श्रीमती राधेश्वरी देशमुख, नया पारा, बालोद, जिला -बालोद 491226	शास.कंगला मांझी, महावि. डौंडी, जिला-बालोद	OBC-F
3	53	श्री सुरेश कुमार पटेल, ग्राम पो.-एरमसाही, जयरामनगर, जिला- बिलासपुर 495550	शास.रानी दुर्गावती महावि., वाङ्गनगर, जिला-बलरामपुर	OBC
4	54	डॉ सन्जु सिन्हा, एचआईजी-आई/73 सेक्टर-1 पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर डंगनिया रायपुर 492010	शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर पी.जी.कला विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	OBC-F
5	56	अनुराधा साहू, क्वा.नं. आई-34 पुलिस लाईन खमतराई रायपुर 492008	शास.अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा, बिलासपुर	OBC-F
6	58	श्री नसीम अहमद मंसूरी, हाजी मौला बख्श हाउस ईदगाह रोड फरीदनगर सुपेला, भिलाई दुर्ग छ.ग. 490023	शास.महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापुर, जिला-कांकेर	OBC

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



.....2

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयवधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

.....3




2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(दुर्गा देवांगन)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 23 / 03 / 2017

पृ.क्र.एफ 1-24/2014/38-1  
प्रतिलिपि :-

- (1) मान. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ आफिसर, अ.मु.स., छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला-..... (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 3121/95/2010/चयन, रायपुर, दिनांक 08.2.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, ..... (छ.ग.)
- (12) संबंधित प्राचार्य, ..... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें तथा शपथ पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करावें।
- (13) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला ..... (छ.ग.)।
- (14) संबंधित श्री सुरेश कुमार पटेल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- (15) आदेश फोल्डर।

(दुर्गा देवांगन)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर  
-- 0 --

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 14/08/2017


क्रमांक एफ 1-40/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा, निम्नलिखित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 4 में दशाये गये स्थान में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर पदस्थ करता है:-

क	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	डॉ. के. आनंद कौशिक	शास.महा. सिलफिली जिला सूरजपुर	शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर	स्वेच्छा (एवजीदार नवनियुक्त)
2	श्री निरजंन कुजुर	शास.नवीन महा. तपकरा	शास. महा. धरमजयगढ़ जिला रायगढ़	स्वेच्छा अनु. से अनु.
3	श्रीमती वंदना पाठक	शास.महा. कुनकुरी	शासकीय महावि., आरा जिला जशपुर	स्वेच्छा अनु. से अनु.
4	श्री मदन मोहन जोशी	कटपोरा	शास. शहीद गैद सिंह महाविद्यालय, चारामा	प्रशासनीक
5	श्री हंसराज ठाकुर	शास.महा. कुसमी	शास.महा. बोरी जिला दुर्ग	स्वेच्छा (एवजीदार नवनियुक्त)
6	डॉ. फिरोज कुमार सोनवानी	शास.आर.एन.एम. महा. भटगांव	शास.महा. कुरुद जिला धमतरी	स्वेच्छा
7	श्री राम प्रसाद चन्द्र	शास.महा. प्रतापपुर जिला सूरजपुर	शास.महा. सीपत जिला बिलासपुर	स्वेच्छा (एवजीदार नवनियुक्त)
8	श्री सुधीर कुमार सिंह	शास. महा. नारायणपुर	शास.महा. वाङ्गफनगर	स्वेच्छा (एवजीदार नवनियुक्त)
9	श्री बृज अभय राठौर	शास.बा.सा.दे० कुनकुरी	शास.महा. वैशालीनगर जिला दुर्ग	स्वेच्छा
10	डॉ. रितेश कुमार अग्रवाल	शास.महा. वैशालीनगर जिला दुर्ग	शास.बा.सा.दे० कुनकुरी	प्रशासनीक
11	श्री रविन्द्र सिंह चन्द्रवंशी	शास. महा. अंतागढ़	शास.महा. चारामा जिला कांकेर	स्वेच्छा अनु. से अनु.

12	श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा	शास.महा. छुरा जिला गरियाबंद	शास.महा. गोबरा नवापारा	स्वेच्छा
13	डॉ. सुनीता राठौर	शास.महा. खरौद	शास.महा. चांपा	स्वेच्छा
14	डॉ. एस.पी. भारद्वाज	शास.महा. चांपा	शास.महा. खरौद	प्रशासनीक
15	डॉ. डी.पी. कुर्रे	शास.इन्द्रावती महा. भोपालपट्टनम	शास.दिग्वीजय पीजी महा. राजनांदगांव	स्वेच्छा (एवजीदार नवनियुक्त)
16	श्री दिनेश कुमार देवांगन	शास.महा. घरघोड़ा जिला रायगढ़	शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. रायगढ़	स्वेच्छा

स्थानांतरित अधिकारियों को जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
( दुर्गा देवांगन )  
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक/एफ 1-40/2017/38-1

नया रायपुर, दिनांक 14/08/2017

प्रतिलिपि :-

- (1) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (2) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
  - (4) कलेक्टर, जिला ..... (छ.ग.)
  - (5) क्षेत्रीय अपर संचालक, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर छ.ग.
  - (6) संबंधित प्राचार्य, ..... (छ.ग.)।
  - (7) संबंधित श्री ..... (छ.ग.)।
  - (8) जिला कोषालय अधिकारी, ..... (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (9) आदेश फोल्डर।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
नारायणपुर जिला- नारायणपुर (छ.ग.)

मो. न.- 94242-83148

Email Add -narayanpurcollege@gmail.com

क्रमांक / ..... / स्था. / 2017

नारायणपुर, दिनांक ..... / 08 / 2017

आदेश

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-40/2017/38-1 नया रायपुर, दिनांक 14.08.2017 के परिपालन में सरल क्रमांक 08 में अंकित इस महाविद्यालय में कार्यरत श्री सुधीर कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) का स्थानांतरण शासकीय महाविद्यालय, वाङ्गफनगर में पदस्थ किया जाने फलस्वरूप आज दिनांक 18.08.2017 अपराह्न में उन्हें शासकीय महाविद्यालय, वाङ्गफनगर में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

**Principal**

शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 18/08/2017


पू.क्र. / 379 / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला-नारायणपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. महालेखाकार फाफाडीह चौक, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, कांकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, वाङ्गफनगर की ओर सादर सूचनार्थ।
9. प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, वाङ्गफनगर की ओर सादर सूचनार्थ।
11. श्री सुधीर कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) को सूचनार्थ।
12. व्यक्तिगत फाईल।
12. स्थापना शाखा/लेखा शाखा, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर।

श्री सुधीर कुमार सिंह

19-8-17



प्राचार्य

शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय नारायणपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफनगर, जिला-बलरामपुर (छ0ग0)

क्रमांक /स्था0 /2017 /


वाड्रफनगर दिनांक .....

प्रति,

आयुक्त  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
ब्लॉक सी.- 30 द्वितीय एवं तृतीय तल  
इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- स्थानांतरण पर कार्य भार ग्रहण की सूचना।

विषयांतर्गत लेख है कि श्री सुधीर कुमार सिंह सहायक प्रध्यापक अर्थशास्त्र शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर से स्थानांतरण होकर आज दिनांक 19/08/2017 को शासकीय महाविद्यालय वाड्रफनगर में कार्यभार कर लिया है अतः आपकी ओर सादर सूचानार्थ प्रेषित है।

  
**Principal**  
Gov. Praachee Collage  
Wadrafnagar, Balrampur (C.G.)

पृष्ठांकन क्र. 342 /स्था. /2017

वाड्रफनगर दिनांक 12.09.17

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग.)
2. क्षेत्रीय अपर संचालक शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर ।
3. प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर (छ.ग.)
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला बलरामपुर (छ.ग.)।
5. उपकोषालय अधिकारी वाड्रफनगर ।
6. श्री सुधीर कुमार सिंह सहायक प्रध्यापक अर्थशास्त्र को सूचनार्थ।
- ✓ 7. व्यक्तिगत नस्ति।
8. कार्यलयीन प्रति।

  
**Principal**  
Gov. प्राचार्य Collage  
Wadrafnagar, Balrampur (C.G.)



प्रति,

पाचार्य

शा. रानी दुर्गावती महाविद्यालय  
वाड़फनगर, जिला - बल्लामपुर (द्व.ग.)

विषय: स्थानांतरण के पत्राह महाविद्यालय में कार्य-भार  
गुहण करने कावत् ।

संदर्भ: सफ-1-40/2017/38-1 तथा रामपुर दिनांक- 14.8.2017  
महोदय

उपरोक्त विषय-तर्गत लेख है कि मैं शा. स्वामी

उमात्मानंद स्नाहकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर (द्व.ग.)

में सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद पर कार्यरत

था मेरा स्थानांतरण दिनांक 14.8.2017 को

उत्प्रेषण-संज्ञक सफ-1-40/2017/38-1 तथा रामपुर

के तहत शा. रानी दुर्गावती महा. वाड़फनगर में हो

गया तथा दिनांक 18.8.2017 को उत्प्रेषण में

शा. स्वामी उमात्मानंद स्नाहकोत्तर नारायणपुर (द्व.ग.)

से कार्य मुक्त होकर उभाज्य दिनांक 19.8.2017

को पूर्वाह्नशामहा विद्यालय वाड़फनगर में सहा. प्रा. (अर्थ)

के पद पर कार्यभार गुहण करने हेतु उपस्थित हूँ।

(अह: उभाज्य दिनांक 19.8.2017

को पूर्वाह्न कार्य-भार गुहण करने की कृपा

करे तथा इसकी जानकारी सम्बन्धित उच्च शिपालय

को सूचित करने का कष्ट करेगा।

दिनांक ! 19.8.2017

सुधीर कुमार सिंह

Sudhir  
19/8/2017  
भवदीय

सुधीर कुमार सिंह  
सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)



**छत्तीसगढ़ शासन**  
**उच्च शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

31

-- 0 --

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-34/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक ( हिन्दी ) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक ( हिन्दी ) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंग आ श्री रामाश्रय सिंह ग्राम रमिलियां पो सरैया नं. 1 थाना -चोलापुर जिला-वाराणसी उ.प्र. 221101	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर जिला बलरामपुर	UR
2	श्री कमल सिन्हा आ श्री यशवंत सिन्हा क्लवपारा वार्ड 26 नहर क्रांसिंग के वास महासमुंद छ.ग. 493445	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	OBC /UR
3	अर्पणा गौतम आ श्री एस.एस.गौतम एस.ई.सी.एल. आफिस के सामने गणपति कार गैरेज के पास सीपत रोड सरकण्डा विलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय ई. राधवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, विलासपुर	OBC /UR-F
4	श्री सनत कुमार आ स्व श्री रामा देवांगन, ग्राम पो सल्का नवागांव थाना कोटा, जिला विलासपुर छ.ग. 495113	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा	UR
5	श्री राजीव यादव आ श्री दशरथ यादव क्वा. 345ई ब्रह्मपुत्र छात्रावास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली 110067	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर	UR
6	नर्मता पाण्डेय आ श्री प्रवीण पाण्डेय अशोक नगर सत्या मेडिकल स्टोर के सामने गली बिरकोना रोड सरकण्डा विलासपुर 495001	शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर	UR-F
7	प्रतीमा सिंह आ श्री राम सुहावन सिंह पटेलनगर चौराहा रक्षपालपुर खखरेरु फतेहपुर उ.प्र. 212656	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाङ्गनगर	UR-F
8	श्री दिनेश कुमार संजय आ स्व श्री गंगाराम संजय, मु.पो. चिखली थाना तह.पुसोर जिला रायगढ़ छ.ग. 496100	शास.महावि.खरसिया	SC /UR
9	श्री विनय कुमार देवांगन आ श्री कोदूराम देवांगन म.क.6 वार्ड डोगरीपारा श्रीहनुमान मंदिर कोण्डागांव छ.ग.494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव	OBC /UR
10	पायल लिलहारे पति श्री श्याम मोहन पटेल, 398/4 बजरंग कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के पास जबलपुर म.प्र.482001	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़	UR-F
11	विजय लक्ष्मी गौड़ पति. श्री विजेत्री विक्रम सिंह द्वारा श्री अश्विनी ठकराल मोहल्ला कानून गोयान निकट साईमंदिर अमरोहा उ.प्र. 244221	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR-F

75

12	कामिनी पति श्री दीपक सिंग वी 22 केन्द्री विद्यालय स्टाफ क्वार्टर डोमनहिल चिरमिरी जिला कोरिया छ.ग. 497557	शास.कन्या महा. बैकुण्ठपुर	UR-F
13	श्रीमती प्रमिला पटेल पति श्री पनिक राम पटेल, ग्राम पो देवगांव तह.बरमकेला जिला रायगढ़ छ. ग.496554	शास.महा. सरिया जिला रायगढ़	OBC /UR-F
14	श्रीमती चैताली सलुजा पति श्री प्रवीण कुमार सलूजा ए/1 बालाजीपुरम कॉलोनी वसंत विहार के पास लिगियाडीह बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय जे.पी. वर्मा पी.जी. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर	UR-F
15	श्री राम आशिष तिवारी आ श्री दातादीन तिवारी, महरछा जंघई हण्डिया सरायममरेज इलाहाबाद उ.प्र. 212401	शास.महा. कटेकल्याण जिला दन्तेवाड़ा	UR
16	श्री चन्द्रशेखर सिंग राजपूत आ श्री रामसनेही राजपूत महाराणा प्रताप उच्च माध्य.विद्यालय झाफल पो.आ.झाफल तह.थाना लोरमी जिला मुंगेली छ.ग. 495115	शासकीय महाविद्यालय, मोहला	UR
17	श्री गिरजा शंकर गौतम आ श्री ऋषि कुमार गौतम, केशरिया कुंज म.नं.102 कोटा रायपुर छ. ग. 492010	शास.महा. भैरमगढ़ जिला बीजापुर	UR
18	श्री यशुदेव प्रसाद पटेल आ श्री भाष्कर लाल पटेल, ग्राम पो लोहर्सी, व्हाया खरौद जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. 495556	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	OBC /UR
19	श्री जयराम कुर्रे श्री गणेश राम कुर्रे आ.क.16 ग्राम लटियाडीह पो आ. कुसमुल अड़भार जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. 495695	शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया	SC
20	श्री छबिलाल सिदार आ श्री सालिक राम सिदार ग्राम बोन्दा पो आ.छिछौर उमरिया तह.पुरसौर जिला रायगढ़ छ.ग.496440	शास.पीजी महा. जगदलपुर	ST /UR
21	श्री बिरूलाल बरगाह आ श्री दशरथ लाल बरगाह, ग्राम नगोई पो. वैमा जिला बिलासपुर छ. ग. 495006	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	OBC /UR
22	श्री सत्यप्रकाश तिवारी आ श्री इन्द्रप्रसाद तिवारी हिन्दी विभाग इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव छ.ग. 491881	शासकीय वीर गेंद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर	UR
23	श्रीमती सरिता पाण्डेय पति श्री रमेश पाण्डेय, नवज्योति प्रेस के बगल में भीमातालाब के पास जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. 495668	शासकीय नवीन महाविद्यालय, हसौद	UR-F
24	श्रीमती करुण गायकवाड़ पति श्री आलोक गायकवाड़ वार्ड 7 मकान नं. 117 केयर एंडक्योर हॉस्पिटल के पीछे तिलक नगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय डॉ. भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, पेन्द्रा	UR-F-O
25	श्री गजेन्द्र कुमार कश्यप आ स्व श्री सुरेन्द्र कुमार कश्यप ग्राम पो लिटिया सेगरिया थाना बोरी तह. धमधा जिला दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम	OBC /UR
26	श्री बालमिकी साहू आ श्री नंदकुमार साहू ग्राम सकरी,पो.ससहा तह.पलारी जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493228	शास.महा. खरोरा जिला रायपुर	OBC/ UR

36

45

27	श्री नंदकिशोर प्रधान आ श्री प्रेमलाल प्रधान ग्राम सेमलिया पो.तोरेसिंहा तह.सरायपाली जिला महासमुंद छ.ग. 493558	शासकीय स्व. श्री जयदेव सतपथी महाविद्यालय, बसना	OBC /UR
28	श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल आ श्री छेदीलाल पटेल ग्राम पद्दुआ पो.बेलवार जनपद जौनपुर उ.प्र. 222201	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर	UR
29	श्री रजनीश कुमार यादव आ श्री श्रीनाथ सिंह यादव क्वा.नं. 239 ईएक्सई ब्रह्मपुत्र छात्रावास जवाहरलाल नेहरू वि.वि.नई दिल्ली 110067	शासकीय इन्दिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया	UR
30	श्री गोर्वधन प्रसाद सूर्यवंशी आ श्री घासीराम सूर्यवंशी वार्ड क. 18 आई.वी.रेस्ट हाउस के पास जांजगीर जिला-जांजगीर चांपा छ.ग. 495668	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बतौली	SC
31	श्री युगल किशोर पटेल आ श्री विष्णु प्रसाद पटेल, ग्राम गिंदोला पो.लाहोद वि.ख.जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493526	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	OBC
32	कुसूम लता प्रजापति पति श्री हरीश कुमार प्रजापति ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर पो.रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ.ग. 497333	शासकीय कालीदास महाविद्यालय, प्रतापपुर	OBC -F
33	श्री ओंकार प्रसाद साहू आ स्व श्री केशवराम साहू आदर्श नगर वार्ड 30 महासमुंद छ.ग. 493445	शास.महा. सोनहत	OBC
34	श्रीमती हेमपुष्पा नायक पति श्री नवनीत नायक म.नं. 8 गुरु विहार कॉलोनी मुक्तिधाम चौक के पास नया सरकारंडा,विलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	OBC-F
35	श्री गावरकर कौशिक आ श्री रामवतार ग्राम महराटोला नयापारा.पो. महराजपुर तह.कवर्धा जिला-कवीरधाम छ.ग. 491995	शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय, सुकमा	OBC
36	श्री शिवकुमार दुबे आ श्री राजेन्द्र कुमार दुबे, मोहलाईन भाटा, कटघोरा जिला-कोरवा छ.ग. 495445	शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार	UR-OH
37	श्रीमती प्रतीमा चन्द्राकर पति श्री राजेश कुमार चन्द्राकर ग्राम पो मुनगासेर तह.बागवहरा जिला-महासमुंद छ.ग. 493449	शासकीय चन्द्रपाल महाविद्यालय, पिथौरा	OBC-F
38	श्री उग्रेन कुमार राहू आ श्री लक्ष्मण प्रसाद ग्राम कोलिहा पो. चकरभाटा,तह.जिला-मुगेली छ.ग. 495334	नवीन शासकीय महाविद्यालय, भैरमगढ़	OBC
39	श्री नरेन्द्र कुमार कुलमित्र आ श्री गणेश प्रसाद कुलमित्र जवाहर नवोदय विद्यालय छिंदपाली पो. चट्टीगिरोला(सराईपाली) जिला महासमुंद छ.ग. 493558	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	OBC
40	श्री धर्मेन्द्र कुमार पाटनवार आ श्री मुन्ना लाल पाटनवार ग्राम बिकुला पो. सोढी व्हाया बलौदा जिला विलासपुर छ.ग. 495559	शास.महा. भोपालपट्टम जिला बीजापुर	OBC
41	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह आ श्री भाव सिंह ग्राम-दामापुर पो.चित्फी बंगला,तह.पंडरिया व्हाया लोरमी जिला-मुगेली छ.ग. 495115	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा	SC
42	श्री शिव कुमार बंजारे आ श्री भारत लाल बंजारे मु.पो. मेऊ,तह.पामगढ़ जिला-जांजगीर चांपा छ. ग. 495554	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़ जिला जांजगीर	SC

28

43	श्री मनोहर लाल मारकण्डे आ स्व श्री कलीराम मारकण्डे ग्राम पो दहदहा, व्हाया तह.कुरुद जिला-धमतरी छ.ग. 493663	नवीन शासकीय महाविद्यालय, किंगेश्वर	SC
44	श्रीमती मंगली बंजारा पति श्री राजेन्द्र कुमार बंजारा,ग्राम पो कोदवा(बानी) व्हाया तह.जिला-मुंगेली छ.ग. 495334	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़ जिला वेमेतरा	SC-F
45	श्रीमती पूनम कोरी पति श्री दिनेश कुमार कोरी ग्राम रमतला पो.सेन्दरी थाना कोनी जिला-बिलासपुर छ.ग. 495009	शासकीय महाविद्यालय, मालखरौदा	SC-F
46	श्री बलदाऊ राम भेडिया आ श्री राम भेडिया ग्राम पो कोचवाय, थाना तह.जिला-गरियाबंद छ.ग. 493889	शासकीय महाविद्यालय, बगीचा	ST
47	श्रीमती मंजूदेवी कोचे पति श्री विनोज कुमार कोचे शांतिनगर वार्ड 1 स/लोहारा तह. स/लोहारा जिला कबीरधाम छ.ग. 491995	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	SC-F
48	श्रीमती वंदना रानी खाखा पति श्री प्रबोध कुमार खाखा मकान नं. सी1,सी2 बालाजीपुरम कॉलोनी बसंत बिहार के पास लिगियाडीह बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.महा. मरवाही जिला बिलासपुर	ST-F
49	राजश्री भारद्वाज आ श्री फिरतालाल भारद्वाज ग्राम धुवाकारी पो.थाना पचपेड़ी तह. मस्तुरी,जिला-बिलासपुर 495551	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय तिल्दा-नेवरा कोहका	SC-F-O
50	श्री कमलेश कुमार मार्को आ श्री शिवप्रसाद मार्को ग्राम पो. अमरपुर थाना तह.पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर छ.ग. 495119	नवीन शासकीय महाविद्यालय, डुमरिया (जरही)	ST
51	पूर्णमा सूर्यवंशी आ श्री गणेशराम सूर्यवंशी एचआईजी।। डी/ डी136 हसदेव विहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जांजगीर जिला-जांजगीरचांपा छ.ग. 495668	शास.महा. उदयपुर जिला सरगुजा	SC-F-O
52	श्री बृहस्पतु सिंह विशाल आ श्री प्रहलाद विशाल ग्राम मुरुमडीह, पो. रायतुम तह.कसडोल जिला बलौदाबाजार छ.ग.493551	शासकीय स्व. दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल	ST
53	श्रीमती कमला बाई दिवान पति श्री मोहनलाल दीवान ग्राम खुरसुला पो.पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493338	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला महासमुन्द	ST-F
54	श्री दिनेश प्रताप सिंह पैकरा आ श्री रायसिंह पैकरा ग्राम ब्रम्हनी पो.हरौद बाजार थाना तह. कसडोल जिला-बलौदाबाजार छ.ग. 493335	शास. मयूरध्वज महादानी राजा पी.जी.महा.चांपा,जिला जांजगीरचांपा	ST
55	श्री अनुपम सुमित तिकी आ स्व श्री पी तिकी आ. क.37 वार्ड 8 सिरसा रोड चॉदनी चौक कोहका दुर्ग छ.ग.490023	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	ST
56	श्री ताम्रध्वज साय पैकरा आ श्री रामदयाल पैकरा C/O श्री सुरेन्द्र साय पैकरा मरिजदपारा धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ छ.ग. 496116	शासकीय पालूराम धनलिया स्नातकोत्तर महा. रायगढ़	ST
57	श्री अनिल कुमार नेताम आ श्री सुरेश कुमार ध्रुव वार्ड 4 इंदिरा कालोनी बलौदाबाजार छ.ग. 493332	शास.महा. खरौद जिला जांजगीर	ST

58	श्री विनय कुमार सनमानी आ श्री साधु साई ग्राम गराईबंध पो.थाना फरसावहार तह.कांसावेल जिला- जशपुर छ.ग. 496242	शासकीय स्नातकोत्तर अम्बिकापुर	राजीवगांधी महाविद्यालय,	ST
59	श्री अशोक कुमार नेताम आ श्री सुखराम नेताम, ग्राम पो केरावाही तह.माकड़ी जिला कोण्डागांव छ.ग. 494229	शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल	अरविन्द	ST
60	श्री उत्तरा कुमार सिदार आ श्री बंशीलाल सिदार ग्राम पो काटा हरदी थाना कोतरा रोड जिला रायगढ़ छ.ग. 496001	शासकीय दुलदुला	महाविद्यालय,	ST
61	श्री दीनदयाल दिल्लीवार स्व डॉ तेजराम दिल्लीवार c/o श्री सी.के.वारसागढ़ बाजार चौक सिकोसा तह.गुण्डरदेही जिला बालोद छ.ग. 491222	शास. महाविद्यालय, जिला- बालोद	बेलोदी,	OBC-OH
62	श्री विष्णु राम ठाकुर आ श्री बालाराम ठाकुर ग्राम पो बलोदा तह.सराईपाली जिला-गहासमुंद छ.ग. 493558	शासकीय महाविद्यालय, तपकरा	नवीन	ST
63	श्री रमेश कुमार खैरवार आ श्री दाता राम खैरवार ग्राम पो. धौरपुर वि.खं.तह.लुण्ड्रा जिला सरगुजा छ.ग. 497101	शासकीय महाविद्यालय, रामानुजगंज	लरंगसाय	ST
64	श्री रधिक कुमार धुव आ श्री ईशर राम धुव ग्राम बोडरा पो. डाही तह.जिला धमतरी छ.ग. 493773	शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागांव	गुंडाधुर	ST
65	श्रीमती चम्पा मरकाम पति श्री फरसूराम मरकाम ग्राम पो.तह. माकड़ी प्लॉटपारा जिला कोण्डागांव छ.ग. 494237	नवीन महाविद्यालय, फरसगांव	शासकीय	ST-F
66	श्रीमती सुसन्ना लकड़ा पति श्री शैलेन्द्र लकड़ा शिवाजीनगर दलदल सिंवनी विकटेश स्कूल के पास पो.सडडू रायपुर छ.ग. 492007	शासकीय चौबे महाविद्यालय, गंडई	स्व. देवीप्रसाद	ST-F
67	श्री जसराम नायक आ श्री देवनाथ नायक ग्राम कोटेरा,पो. सम्बलपुर तह.डौडीलोहारा जिला बालोद छ.ग. 491771	शासकीय गुप्त महाविद्यालय, बालोद	धनश्याम सिंह स्नातकोत्तर	ST
68	प्रेमा कुमारी कुजूर पति श्री अन्थ्रेस केरकेटटा म. नं.5/584 अयोध्यानगर रिंगरोड 2 नेहरुनगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.महा. जिला कवर्धा	सहसपुर लोहारा	ST-F

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( भुवनेश यादव )  
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
  - (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
  - (6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  - (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
  - (8) कलेक्टर, जिला ..... (छ.ग.)।
  - (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
  - (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
  - (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
  - (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, विलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
  - (13) संबंधित प्राचार्य, ..... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
  - (14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला ..... (छ.ग.)।
  - (15) संबंधित सर्वश्री.....  
..... कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (16) आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



**छत्तीसगढ़ शासन**  
**उच्च शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

-- 0 --  
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 10/07/2018 2018

क्रमांक एफ 1- 33/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक ( रसायन शास्त्र) के पद हेतु अनुपूरक सूची से चयनित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री सुनील कुमार आ. श्री जयहिन्द प्रसाद, विवेकानंद हॉस्टल, कमरा नं. 70 आईआईटी(बीएचयू) वाराणसी उ.प्र. 221005	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महावि. गरियाबंद	UR
2	श्री अबध किशोर झा आ श्री काशीनाथ झा ग्राम. पो.थाना- बेनीपट्टी लोहिया चौक ब्लाक रोड जिला बधुबनी, बिहार 847223	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महावि., राजनांदगांव	UR
3	तोयाज शुक्ला आ. रमेश चन्द्र शुक्ला, 5एफ/5 टागोर टाउन इलाहाबाद यूपी 211002	शासकीय रानी दुर्गावती महावि., वाड़फनगर	UR
4	श्री प्रवीण सिंग आ. श्री रामश्री सिंग म.स. एस26/237ए8 श्यामपुरी कालोनी, ब्लाक-बी मीरापुर बसही वाराणसी उ.प्र. 221002	शासकीय राजीव गांधी कला वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी, जिला- मुंगेली	UR
5	श्री संजीव कुमार राठौर आ. श्री एस.आर.राठौर, मिश्रा गली सूरजपुर जिला सूरजपुर छ.ग. 497229	शासकीय महाविद्यालय, दीपका, कोरबा	OBC

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र

.....2

प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
  8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
  9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
  10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
  11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
  12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(दुर्गा देवांगन)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 17/07/2018 2018

पृ.क्र. एफ 1-33/2017/38-1  
प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

- (6) निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।  
(7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।  
(8) कलेक्टर, जिला ..... (छ.ग.)।  
(9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 605/22/चयन/17/11/Y दिनांक 17.5.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।  
(10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।  
(11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।  
(12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।  
(13) संबंधित प्राचार्य, ..... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।  
(14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला ..... (छ.ग.)।  
(15) संबंधित सर्वश्री.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।  
(16) आदेश फोल्डर।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग